

आदेश 0276 अ. 11
2/10/21

बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्रांक सं०-04/पौ०सं०यो० ड्रोन-374/2025-~~प्रतिज्ञा~~-04-

कृ० पटना दिनांक: 17/04/2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

द्वारा- वित्त विभाग, बिहार, पटना (+)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में "कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव योजना" हेतु कुल 137.2104 लाख (एक करोड़ सैंतीस लाख इक्कीस हजार चालीस) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में "कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव योजना" हेतु कुल 137.2104 लाख (एक करोड़ सैंतीस लाख इक्कीस हजार चालीस) रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना के कार्यान्वयन से राज्य के सभी जिलों में ड्रोन द्वारा फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव कर कम समय में ज्यादा क्षेत्र में कीट/व्याधि/खरपतवार नियंत्रण हेतु कीटनाशी/फफूंदनाशी/ खरपतवारनाशी/अन्य रसायन का छिड़काव किया जा सकेगा तथा तरल उर्वरक यथा एन०पी०के०, एन०पी०के० कनसोटिया, नैनो यूरिया, नैनो डी०ए०पी०, सूक्ष्म पोषक तत्वों, अन्य उर्वरकों का ड्रोन से छिड़काव कर कम पूँजी एवं समय में फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकेगी।

3. वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा किसानों के कुल 27666 एकड़ फसलों पर ड्रोन से छिड़काव का कार्यान्वयन किया गया।

4. वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि ड्रोन से 38 जिलों के 56050 एकड़ फसलों (खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, उद्यानिक एवं अन्य) में कीटनाशी (कीटनाशी/फफूंदनाशी/ खरपतवारनाशी/पादप वृद्धिनियामक) एवं तरल उर्वरक छिड़काव की योजना कार्यान्वित की जायेगी।

5. इस योजना अंतर्गत इच्छुक किसानों को अनुदानित दर पर ड्रोन से कीटनाशी/तरल उर्वरक छिड़काव की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। कृषि निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा निर्धारित छिड़काव शुल्क का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 240 रु० प्रति एकड़ का भुगतान संबंधित सेवा प्रदाता को देय होगा तथा शेष छिड़काव शुल्क का भुगतान किसानों द्वारा संबंधित सेवा प्रदाता को किया जायेगा।

6. कृषि विभाग के डी०बी०टी० पोर्टल पर निबंधित कृषक ही योजना लक्ष्य के अंतर्गत इस कार्यक्रम के लिये पात्र होंगे। राज्य के किसान कहीं से भी आनलाईन आवेदन अपने क्षेत्र के लिए कर सकते हैं।

7. एक किसान को अधिकतम 15 एकड़ हेतु अनुदानित दर पर छिड़काव की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। एक किसान अधिकतम दो छिड़काव हेतु अनुदान का लाभ ले सकेंगे।
8. इस योजनान्तर्गत किसानों के खेतों में कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव की सुविधा राज्य स्तर से चयनित सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
9. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डी0जी0सी0ए0) से निबंधित ड्रोन के सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन विज्ञापन/इच्छा की अभिव्यक्ति के माध्यम से कृषि निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा राज्य के सभी जिलों के लिए किया जाएगा। सेवा प्रदाता के द्वारा कृषकों के खेत में अनुशंसित कीटनाशी का छिड़काव किया जायेगा। सभी जिलों में सेवा प्रदाता का राज्यस्तरीय अनुबंध संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना के बीच किया जायेगा।
10. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत पोपुलराइजेशन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टीसाइड एण्ड लिक्विड फर्टिलाइजर बाई ड्रोन इन पी0पी0पी0 मोड योजना अंतर्गत चयनित लाभार्थी का चयन इस योजना अंतर्गत सेवा प्रदाता एजेंसी के रूप में किया जायेगा।
11. फसलों के पीक सीजन के अवधि में सभी सेवा प्रदाता को अपने आवंटित जिलों में कम से कम दो ड्रोन एवं ड्रोन पायलट रखना अनिवार्य होगा।
12. कृषि ड्रोन से कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव हेतु सेवा प्रदाता एजेंसी को नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्गत ड्रोन नियम 2021, ड्रोन (संशोधन) नियम 2022, ड्रोन (संशोधन) नियम 2023 तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, के द्वारा ड्रोन के परिचालन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तथा फसलवार SOP परिचारित है जिसका शत प्रतिशत अनुपालन करना अनिवार्य है। साथ ही गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार के विशेष सचिव के द्वारा दिनांक 19.07.2023 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र-PR NO. 005489 (Home) 2023-24 द्वारा भी राज्य में ड्रोन संचालन हेतु निदेश प्रकाशित है जिसके प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
13. सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियामवली 1971 के Chapter VIII Rule 43 के अंतर्गत कीटनाशकों का हवाई अनुप्रयोग हेतु CIB & RC से अनुशंसित कीटनाशी का उपयोग अनुशंसित मात्रा में किया जायेगा।
14. सेवा प्रदाता एजेंसी के द्वारा विभाग के पदाधिकारी/कृषि वैज्ञानिक द्वारा अनुशंसित कीटनाशी का प्रयोग कृषकों के फसलों पर किया जाएगा। फसलों पर छिड़काव हेतु रासायनिक कीटनाशी/जैव कीटनाशी/पादप वृद्धिनियामक/तरल उर्वरक कृषकों के द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी को उपलब्ध कराया जायेगा।
15. सेवा प्रदाता एजेंसी के ड्रोन पायलट को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डी0जी0सी0ए0), द्वारा रिमोट पायलट प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता होगी। डी0 जी0 सी0 ए0 द्वारा निबंधित ड्रोन का ही कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। ड्रोन परिचालन हेतु ड्रोन का Digital Sky Platform पर पंजीकरण कराये बिना संचालन नहीं किया जायेगा।
16. सेवा प्रदाता एजेंसी के ड्रोन पायलट कीटनाशी के प्रयोग एवं दुष्प्रभाव से संबंधित विशेषज्ञता प्रशिक्षण NIPHM, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद के द्वारा विकसित MODULE के अनुसार प्राप्त किये होंगे।
17. इस योजनान्तर्गत कुल 22800 मानव दिवस का सृजन होगा।
18. इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार, पटना होंगे एवं राज्य स्तरीय नोडल पदाधिकारी संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना होंगे।

19. वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची 01 के अनुरूप संलग्न है।

20. योजना अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा किसी कारणवश खरीफ का लक्ष्य पूरा नहीं करने की स्थिति में आवंटित लक्ष्य को वित्तीय वर्ष समाप्ति तक किया जा सकता है।

21. योजना का कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला स्तर पर संबंधित जिला के सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण होंगे। योजना अंतर्गत जिलावार/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार कुल वित्तीय लक्ष्य अनुसूची-02 के रूप में संलग्न है।

22. संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कार्य/घटक संबंधित कृत कार्य के शत-प्रतिशत सत्यापनोपरान्त सेवा प्रदाता को अनुदान राशि का भुगतान संबंधित कोषागार के माध्यम से फार्म संख्या BTC-25 पर C.F.M.S के माध्यम से उनके बैंक खाता में स्थानांतरित किया जायेगा।

23. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

24. कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव योजना के सभी घटकों में व्यय क्रमशः सामान्य जाति मद में 78.56 प्रतिशत, अनुसूचित जाति मद में 20.02 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति मद में 1.42 प्रतिशत के अनुपात में किया जायेगा।

25. वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट शीर्ष, उपबंधित राशि एवं स्वीकृत राशि की विवरणी निम्न प्रकार है:-

बजट शीर्ष		(राशि लाख ₹0 में)	
		उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग संख्या-01, उपशीर्ष-0106-इन्टेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड-01-2401001090106 विषय शीर्ष-0106.27.01 लघु कार्य		2674.06	107.7925
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष -789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या-01, उप शीर्ष-0106-इन्टेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड-01-2401007890106 विषय शीर्ष- 0106.27.01 लघु कार्य		681.64	27.4695
मुख्य शीर्ष 2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या-01, उप शीर्ष -0134-इन्टेनसिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्र कोड-01-2401007960134 विषय शीर्ष-0134 .27.01 लघु कार्य		48.33	1.9484
सकल योग		3404.03	137.2104

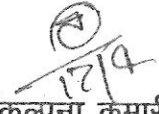
26. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888 दिनांक 03.12.2024 तथा पत्रांक-201 दिनांक-13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक 17.04.2025 को सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति से योजना प्रस्ताव अनुशंसित है। स्वीकृत्यादेश प्रारूप में सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या- 04/पौ0सं0यो0 ड्रोन-374/2025 के पृ0सं0-10/टि0 पर दिनांक-17.04.2025 को प्राप्त है।

27. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।



28. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-04/पौ0सं0यो0 ड्रोन-374/2025 के टिप्पणी पृष्ठ-12/टि0 पर दिनांक-17.04.2025 को प्राप्त है जिसका डायरी संख्या-241 दिनांक-17.04.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(कल्पना कुमारी)

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0-04/पौ0सं0यो0 ड्रोन-374/2025 - ~~प्रतिपि0एन0-04~~ /कृ० पटना दिनांक: 17/04/2025

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, बीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0-04/पौ0सं0यो0 ड्रोन-374/2025 - ~~प्रतिपि0एन0-04~~ /कृ० पटना दिनांक: 17/04/2025

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0-04/पौ0सं0यो0 ड्रोन-374/2025 - ~~प्रतिपि0एन0-04~~ /कृ० पटना दिनांक: 17/04/2025

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक सं0-04/पौ0सं0यो0 ड्रोन-374/2025 - ~~प्रतिपि0एन0-04~~ /कृ० पटना दिनांक: 17/04/2025

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव बिहार, पटना/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी उप निदेशक पौधा संरक्षण/सभी सहायक निदेशक पौधा संरक्षण/ बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

अनुसूची- 01

वित्तीय वर्ष 2025-26 में चतुर्थ कृषि रोड मैप तहत कृषि झोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(राशि-लाख ₹0 में)

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रखंड की संख्या	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में) प्रति प्रखंड 100 एकड़, टाल जिला अंतर्गत प्रति प्रखंड 150 एकड़	वित्तीय लक्ष्य 50 प्रतिशत अधिकतम 240 रुपये प्रति एकड़ (लाख ₹0 में)	कन्टीजेंसी 2 प्रतिशत	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1	पटना	23	3450	8.28000	0.16560	8.44560
2	नालन्दा	20	3000	7.20000	0.14400	7.34400
3	भोजपुर	14	1400	3.36000	0.06720	3.42720
4	रोहतास	19	1900	4.56000	0.09120	4.65120
5	बक्सर	11	1100	2.64000	0.05280	2.69280
6	कैमूर	11	1100	2.64000	0.05280	2.69280
7	गया	24	2400	5.76000	0.11520	5.87520
8	जहानाबाद	7	700	1.68000	0.03360	1.71360
9	अरवल	5	500	1.20000	0.02400	1.22400
10	नवादा	14	1400	3.36000	0.06720	3.42720
11	औरंगाबाद	11	1100	2.64000	0.05280	2.69280
12	भागलपुर	16	2400	5.76000	0.11520	5.87520
13	बांका	11	1100	2.64000	0.05280	2.69280
14	बेगुसराय	18	1800	4.32000	0.08640	4.40640
15	खगड़िया	7	700	1.68000	0.03360	1.71360
16	मुंगेर	9	1350	3.24000	0.06480	3.30480
17	जमुई	10	1000	2.40000	0.04800	2.44800
18	लखीसराय	7	1050	2.52000	0.05040	2.57040
19	शेखपुरा	6	900	2.16000	0.04320	2.20320
20	सारण	20	2000	4.80000	0.09600	4.89600
21	सिवान	19	1900	4.56000	0.09120	4.65120
22	गोपालगंज	14	1400	3.36000	0.06720	3.42720
23	मुजफ्फरपुर	16	1600	3.84000	0.07680	3.91680
24	वैशाली	16	1600	3.84000	0.07680	3.91680
25	सीतामढ़ी	17	1700	4.08000	0.08160	4.16160
26	शिवहर	5	500	1.20000	0.02400	1.22400
27	पूर्वी चम्पारण	27	2700	6.48000	0.12960	6.60960
28	पश्चिमी चम्पारण	18	1800	4.32000	0.08640	4.40640
29	दरभंगा	18	1800	4.32000	0.08640	4.40640
30	मधुबनी	21	700	1.68000	0.03360	1.71360
31	समस्तीपुर	20	2000	4.80000	0.09600	4.89600
32	सहरसा	10	1000	2.40000	0.04800	2.44800
33	सुपौल	11	1100	2.64000	0.05280	2.69280
34	मधेपुरा	13	1300	3.12000	0.06240	3.18240
35	पूर्णियाँ	14	1400	3.36000	0.06720	3.42720
36	किशनगंज	7	700	1.68000	0.03360	1.71360
37	अररिया	9	900	2.16000	0.04320	2.20320
38	कटिहार	18	1600	3.84000	0.07680	3.91680
कुल योग		534	56050	134.52000	2.69040	137.21040

टाल जिला :- पटना, नालन्दा, शेखपुरा, भागलपुर, मुंगेर एवं लखीसराय

संयुक्त निदेशक, पोषा संरक्षण,
बिहार, पटना

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि ड्रोन से फसलो पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक छिड़काव योजना से संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार कोटिवार राशि संबंधित विवरणी

राशि-लाख रु० में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम	सामान्य	अनु० जाति	अनु० जन जाति	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना	विकास भवन पटना	6.6349	1.6908	0.1199	8.4456
2	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, नालन्दा	जिला कोषागार पदाधिकारी नालन्दा	5.7695	1.4703	0.1043	7.3440
3	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मोजपुर	जिला कोषागार पदाधिकारी मोजपुर	2.6924	0.6861	0.0487	3.4272
4	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, रोहतास	जिला कोषागार पदाधिकारी रोहतास	3.6540	0.9312	0.0661	4.6512
5	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, बक्सर	जिला कोषागार पदाधिकारी बक्सर	2.1155	0.5391	0.0382	2.6928
6	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, कैमूर	जिला कोषागार पदाधिकारी कैमूर	2.1155	0.5391	0.0382	2.6928
7	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, गया	जिला कोषागार पदाधिकारी गया	4.6156	1.1762	0.0834	5.8752
8	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, जहानाबाद	जिला कोषागार पदाधिकारी जहानाबाद	1.3462	0.3431	0.0243	1.7136
9	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, अरवल	जिला कोषागार पदाधिकारी अरवल	0.9616	0.2450	0.0174	1.2240
10	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, नवादा	जिला कोषागार पदाधिकारी नवादा	2.6924	0.6861	0.0487	3.4272
11	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, औरंगाबाद	जिला कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद	2.1155	0.5391	0.0382	2.6928
12	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, भागलपुर	जिला कोषागार पदाधिकारी भागलपुर	4.6156	1.1762	0.0834	5.8752
13	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, बांका	जिला कोषागार पदाधिकारी बांका	2.1155	0.5391	0.0382	2.6928
14	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, बेगुसराय	जिला कोषागार पदाधिकारी बेगुसराय	3.4617	0.8822	0.0626	4.4064
15	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, खगड़िया	जिला कोषागार पदाधिकारी खगड़िया	1.3462	0.3431	0.0243	1.7136
16	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मुंगेर	जिला कोषागार पदाधिकारी मुंगेर	2.5963	0.6616	0.0469	3.3048
17	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, जमुई	जिला कोषागार पदाधिकारी जमुई	1.9232	0.4901	0.0348	2.4480
18	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, लखीसराय	जिला कोषागार पदाधिकारी लखीसराय	2.0193	0.5146	0.0365	2.5704
19	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, शेखपुरा	जिला कोषागार पदाधिकारी शेखपुरा	1.7308	0.4411	0.0313	2.2032
20	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सारण	जिला कोषागार पदाधिकारी सारण	3.8463	0.9802	0.0695	4.8960
21	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सिवान	जिला कोषागार पदाधिकारी सिवान	3.6540	0.9312	0.0661	4.6512
22	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, गोपालगंज	जिला कोषागार पदाधिकारी गोपालगंज	2.6924	0.6861	0.0487	3.4272
23	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मुजफ्फरपुर	जिला कोषागार पदाधिकारी मुजफ्फरपुर	3.0770	0.7841	0.0556	3.9168
24	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, वैशाली	जिला कोषागार पदाधिकारी वैशाली	3.0770	0.7841	0.0556	3.9168
25	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सीतामढ़ी	जिला कोषागार पदाधिकारी सीतामढ़ी	3.2694	0.8332	0.0591	4.1616
26	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, शिवहर	जिला कोषागार पदाधिकारी शिवहर	0.9616	0.2450	0.0174	1.2240
27	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पूर्वी चम्पारण	जिला कोषागार पदाधिकारी पूर्वी चम्पारण	5.1925	1.3232	0.0939	6.6096
28	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पश्चिमी चम्पारण	जिला कोषागार पदाधिकारी पश्चिमी चम्पारण	3.4617	0.8822	0.0626	4.4064
29	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, दरभंगा	जिला कोषागार पदाधिकारी दरभंगा	3.4617	0.8822	0.0626	4.4064
30	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मधुबनी	जिला कोषागार पदाधिकारी मधुबनी	1.3462	0.3431	0.0243	1.7136
31	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, समस्तीपुर	जिला कोषागार पदाधिकारी समस्तीपुर	3.8463	0.9802	0.0695	4.8960
32	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सहरसा	जिला कोषागार पदाधिकारी सहरसा	1.9232	0.4901	0.0348	2.4480
33	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, सुपौल	जिला कोषागार पदाधिकारी सुपौल	2.1155	0.5391	0.0382	2.6928
34	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, मधेपुरा	जिला कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा	2.5001	0.6371	0.0452	3.1824
35	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पूर्णियाँ	जिला कोषागार पदाधिकारी पूर्णियाँ	2.6924	0.6861	0.0487	3.4272
36	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, किशनगंज	जिला कोषागार पदाधिकारी किशनगंज	1.3462	0.3431	0.0243	1.7136
37	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, अररिया	जिला कोषागार पदाधिकारी अररिया	1.7308	0.4411	0.0313	2.2032
38	सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, कटिहार	जिला कोषागार पदाधिकारी कटिहार	3.0770	0.7841	0.0556	3.9168
कुल योग			107.7925	27.4695	1.9484	137.2104

संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण,
बिहार, पटना

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना